राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प. 7(38) परि./नियम/मु./सीएनजी/2021/20048 जयपुर, दिनांक : 03/11/2021

कार्यालय आदेश संख्या ...19.../2021

पेट्रोल/डीजल चलित ऐसे वाहनों के लिए जो वर्तमान में उपयोग में लिये जा रहे हैं, में CNG Kit के पुनः Fitment करने संबंधी दिशा–निर्देश :–

केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 बी में CNG चलित वाहनों के उत्सर्जन मानकों (Emission Standards) के संबंध में प्रावधान किये गये हैं, उक्त नियमों में वर्तमान में उपयोग में लिये जा रहे मोटर वाहनों में CNG Kit के पुनः Fitment सम्बन्धी प्रावधान भी दिये गये हैं।

वाहनों में CNG Kit के पुनः Fitment की कार्यवाही हेतु पंजीयन अधिकारियों को निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं: –

1. केवल ऐसे CNG Kit का पुनः Fitment मोटर वाहनों में किया जावेगा, जिसके विनिर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के अधीन प्राधिकृत किसी Testing Agency द्वारा Type approval का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया गया हो। उक्त प्रमाण–पत्रों में यह शर्त अंकित की गई है कि किस प्रकार के वाहन जैसे–कारब्यूरेटेड (Carburated) वाहन आदि तथा किन–किन वर्ष में निर्मित वाहन/मॉडल्स में यह किट लगाई जा सकेगी। ऐसे CNG Kits निर्माताओं/प्रदायकर्त्ताओ द्वारा पेट्रोल/डीजल चलित वाहनों में CNG Kit का पुनः फिटमेन्ट हेतु परिवहन मुख्यालय से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।
2. वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे वाहनों मे CNG Kit का पुनः Fitment केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 112 के अनुसार प्राधिकृत कार्यशालाओं में ही किया जावेगा। इस प्रयोजनार्थ kit विनिर्माता/Kit प्रदाय कर्त्ता/वाहन विनिर्माता, CNG kit लगाने वाले प्राधिकर्त्ता को एक Authorisation सर्टिफिकेट जारी करेंगे, जिसके आधार पर CNG kit लगाने वाले प्राधिकर्त्ता द्वारा संबंधित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को प्रारूप 1 में आवेदन किया जायेगा।
3. सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा बिन्दु संख्या 2 के अनुसार प्राधिकृत CNG Kit रेट्रोफिटर (Retrofitter) द्वारा आवेदन प्रारूप–1 में निर्धारित फीस के साथ प्रस्तुत करने के पश्चात् निरीक्षण कराया जावेगा एवं विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति होने की CNG Kit लगाने हेतु अधिकृत किया जावेगा। प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी प्रत्येक ऐसे CNG Kit रेट्रोफिटर (Retrofitter) को प्राधिकार–पत्र (Letter of authority) जारी करेंगे। उक्त प्राधिकार–पत्र जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगा एवं तद्नुसार निर्धारित फीस के साथ पुनः क्रमिक रूप से एक वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा। प्राधिकार पत्र का प्रारूप आदेश के साथ प्रारूप–2 पर संलग्न हैं।

4. संबंधित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी CNG Kit रेट्रोफिटर (Retrofitter) को प्राधिकार–पत्र जारी करने से पूर्व सुरक्षा मानकों की अनुपालना हेतु आवश्यक संस्वीकृति एवं व्यवसाय हेतु आवश्यक दस्तावेजो की उपलब्धता की जांच सुनिश्चित करेगें।
5. CNG Kit रेट्रोफिटर (Retrofitter) की वर्कशॉप में कम से कम 450 वर्गफीट का क्षेत्र एक वाहन में CNG Kit परिवर्तन के लिए होना चाहिए। यदि एक ही समय में एक से अधिक वाहनों में CNG Kit लगाया जाना हैं तो वर्कशॉप का क्षेत्रफल उसी अनुपात में अधिक होना चाहिए। उक्त क्षेत्र अलग बन्द तथा सुरक्षा की दृष्टि से उचित होना चाहिए।
6. CNG Kit रेट्रोफिटर (Retrofitter) को कम से कम ऐसे आई.टी.आई प्रशिक्षित टैक्नीशियन, जिसको मोटर मैकेनिक क्षेत्र का एक वर्ष का अनुभव हो, रखना अनिवार्य होगा। CNG Kit निर्माता/Kit प्रदायकर्त्ता इन टैक्नीशियनस् को Kit लगाने का गहन प्रशिक्षण देंगे।
7. प्रत्येक CNG Kit रेट्रोफिटर (Retrofitter) को अपने परिसर में CNG Kit निर्माता/Kit प्रदायकर्त्ता द्वारा एवं जिला परिवहन अधिकारी द्वारा जारी ऑथोराइजेशन (Authorisation) प्रमाण–पत्र को प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त वर्कशॉप में उपलब्ध उपकरणों तथा प्रशिक्षित (Man Power) की जानकारी भी परिसर में प्रदर्शित की जायेगी।
8. रेट्रोफिटर (Retrofitter) CNG Kit लगाते समय CNG ऑटो फ्यूल (Auto fuel) के उपयोग से सम्बन्धित सेफ्टी कोड (Safety Code) की अनुपालना सख्ती से करनी होगी।
9. रेट्रोफिटर (Retrofitter) CNG Kit लगाने के पश्चात् वाहन स्वामी को एक प्रमाण–पत्र (चैकलिस्ट सहित)जारी करेगा जो कि उक्त Kit CNG सेफ्टी कोड (AIS: 024-AIS:028) के अनुसार सही एवं सुरक्षित तरीके से लगा दिया गया हैं। इसी के साथ रेट्रोफिटर (Retrofitter) को प्रत्येक CNG Kit के साथ लगे हुये Auto CNG Cyninder/Tank का भारत सरकार के उधोग एवं वाणिज्यिक मंत्रालय के विस्फोटक विभाग के Chief Controller of Explosive द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की प्रति भी देना अनिवार्य होगा।
10. CNG Kit विनिर्माता/Kit प्रदायकर्त्ता/Kit Installer को Kit लगाने, CNG System के संचालन एवं रखरखाव के संबंध में समुचित प्रशिक्षण देगा तथा प्रशिक्षण के पश्चात् Installtion को प्रशिक्षण दिये जाने सम्बन्धी एक प्रमाण–पत्र भी जारी करेगा।
11. वाहन स्वामी को अपने वाहन में CNG kit पुनः Fitment लगाने से पूर्व सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से उक्त परिवर्तन की अनुमति मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 52 के तहत प्राप्त करनी होगी। CNG Kit पुनः Fitment कर्त्ता Kit लगाने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन स्वामी द्वारा उक्त परिवर्तन की अनुमति सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से प्राप्त कर ली गई हैं। उक्त परिवर्तन का इन्द्राज वाहन पंजीयन पुस्तिका में वाहन स्वामी को अनुमति प्राप्ति के 14 दिवस के अन्दर–अन्दर करवाना होगा।
12. परिवहन विभाग के परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक और उनसे उच्च पद का कोई भी अधिकारी रेट्रोफिटर (Retrofitter) के परिसर का निरीक्षण कर सकेगा।

13. माह के अन्त में प्रत्येक रेट्रोफिटर (Retrofitter) उस माह लगाये गये CNG Kits की सूची मय वाहन संख्या के पंजीयन अधिकारी को प्रेषित करेगा तथा इसका रिकॉर्ड स्वयं के कार्यालय में संधारित कर सकेगा।
14. सम्बन्धित प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी पुनः Fitment Center का एक निश्चित अंतराल के बाद निरीक्षण सुनिशिचित करेंगे, जो 6 माह से अधिक नहीं होगा।
15. प्राधिकार–पत्र का निलंबन / निरस्तीकरण एवं शास्ति :– यदि प्राधिकृत अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि इस आदेश के अधीन अधिकृत (Retrofitter) मोटर वाहन अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत बने नियमों या आदेश की शर्तों का पालन नहीं कर रहा हैं तो वह प्राधिकार पत्र का निलंबित कर सकेगा अथवा ऐसी जांच के पश्चात् प्राधिकार पत्र को निरस्त कर सकेगा तथा अनियमितताओं के लिये मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकेगा।
16. CNG Kit विनिर्माता / Kit प्रदायकर्त्ता द्वारा अधिकृत रेट्रोफिटर (Retrofitter), वाहनों में पुनः Fitment के संबंध में कार्य आने वाले समस्त उपकरण संधारित रखेगा।
17. संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्राधिकार में प्राधिकार पत्रधारी CNG Kit रेट्रोफिटर (Retrofitter) की सूचना प्रारूप–3 में संकलित कर मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि विभागीय वेबसाईट पर सूचना अपलोड की जा सके।
18. समय–समय पर विभाग द्वारा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

(महेन्द्र सोनी)
परिवहन आयुक्त एवं
विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक : प. 7(38) परि. / नियम / मु. / सीएनजी / 2021 / 20049–55 जयपुर, दिनांक 03/11/2021
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
5. समस्त प्रादेशिक / अतिरिक्त प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी।
6. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

परिवहन आयुक्त एवं
विशिष्ट शासन सचिव

APPLICATION FOR CNG RETROFITMENT Centre (RFC)

1. Name of the Workshop/ firm:-

2. Complete address:-

3. Weekly off. If any:-

4. Name of the applicant (In Block Letter) & his status in the firm:-

5. Area (Sq. yd.) of workshop premises :

6. If application is for three , four or more wheelers then does the workshop has opening of more than 15 feet and length of 30 feet or it has lesser measurements? Please write exact measurements:

7. Area of office, reception, waiting lounge and store etc: (The workshop and the office, reception, store etc should be in the same premises)

8. Complete details of tools to install CNG kit and kit maintenance. :-

(a) Details of CNG fitment tools:

Sr.	Description	make	Nos
1-	Two Post Lift/Ramp		
2-	Electric Hand drill machine and HSS drill bits		
3-	Tube bender		
4-	Tube cutter		
5-	Deburring tool for tube		
6-	Set of "D" Ring an box spanners		
7-	Set of screw driver (both flat and star)		
8-	Set of Allen keys		
9-	HSS hand saw		
10-	Crimping tool for electrical cable termination		
11-	Soap bubble bottle		
12-	Set of letter and number punch		
13-	Exhaust analyser / smoke meter		
14-	Timing Gun		
15-	Filler gauge		
16-	Measurement tape		
17-	Air compressor		
18-	Flame proof inspection light		
19-	Vernier Caliper		
20-	Multimeter/Digial volt Ohm Meter		

21-	NG pressure Gauge having specification to measure 0-5 PSI, 0-10 PSI & 0-160 PSI pressure		

(b) Firefighting equipment:

Sr.	Description	make	Nos
1-	Dry Chemical Powder (DCP) type-minimum two nos. of 5Kg.		
2-	CO2 type fire extinguisher – minimum 1 number of 5Kg with ISI mark		
3-	Fire buckets filled with sand-2 buckets		

9. Authorization letter from kit manufacture/dealer/supplier with specified kit name and copies of Testing agency approval of Transport department,Jaipur, Rajasthan. (Both approvals to be self attested by manufacturer/ supplier of CNG kit);

10. Category for which authorization is sought:

a.) Diesel driven vehicles to CNG mode.

b.) Petrol driven Two wheelers vehicles to CNG mode

c) Petrol driven three/four or more wheeler vehicles to CNG mode

11. Complete details of staff employed :-

12.Particulars of personal proposed/employed as authorized for fitment of CNG kit fitment.

(i) Name

(ii) Age

(iii) Technical Qualifications (Attach self attested copies of technical qualification)

(iv) Whether person has one years of experience (Enclose self declaration of the technical personnel):

(v) Whether person trained by kit manufacture/dealer/ Supplier (Enclose training certificate)

13. Whether premises are owned/leased agreement/rent agreement: - (Enclose self Attested Ownership documents /rent receipt/lease deed/rent deed).

14. Lay out of the premises.

Signature of the Applicant

Other instructions/ relevant documents to be submitted along with application:

1. Application must be made on the letterhead of the firm.

2. Applicant must be either by the Proprietor/Partner/Director/Managing Director as per the constitution of the firm.

3. Photographs showing external and internal views of the premises & tools.
4. All the enclosures/documents should be self attested by applicant.

Letter of Authority

No.

In Pursuance of this Office Order No.....................................Dated ....and subject to the conditions laid down therein the Letter of Authority is herebygranted to M/s..as for installation of CNG kits in Motor Vehicles in accordance with Provisions under Rule 115B of CMV Rules, 1989 & the guidelines issued in this respect Letter of Authority is valid upto...

Station Code

Date of issue:

Authorised Officer
Regional/District Transport Officer

S.No.	Date of Renewal	Receipt No.	Valid up to

Authorised Officer

प्रारूप –3

क्र.स.	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय	जिला परिवहन कार्यालय	प्राधिकृत सीएनजी किट रेट्रोफिटर का नाम एवं पूर्ण पता	प्राधिकार पत्र संख्या एवं जारी दिनांक एवं वैधता	सीएनजी किट का नाम एवं वाहन का प्रकार एवं मॉडल जिसके लिए अधिकृत किया गया है